न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 20/2023

1 मनकोरी पत्नी स्व. श्योराम
2 नेमीचन्द पुत्र स्व. श्योराम
3 सुरेश पुत्र स्व. श्योराम
4 विजेन्द्र पुत्र स्व. श्योराम
5 सन्तरा पुत्री स्व. श्योराम
6 सरबती पत्नी स्व. बहादुर
7 मुकेश कुमार पुत्र स्व. बहादुर
8 अंकुश पुत्र स्व. बहादुर
जाति समस्त जाट निवासीगण मीलो का बास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती महाकोरी पत्नी स्व. मोहनलाल जाति जाट निवासी मीलों का बास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
2 मु. सुनिता पुत्री स्व. बहादुर पत्नी राजेश जाति जाट निवासी मीलों का बास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.) हाल निवासी जेजुसर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी. एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू मुकदमा
उनवानी श्रीमती महाकोरी बनाम मनकोरी वगैरह
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट
1955 मु.नं. 17/2018 निर्णय दिनांक 28.12.2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री किशोर कुमार जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 6.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 17/2018 में पारित निर्णय दिनांक 28.12.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट संख्या 1 से 5 व बहादुर के विरूद्व विचारण न्यायालय के यहां एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। दौराने सुनवाई अनावेदक बहादुर का देहान्त दिनांक 02.06.2020 को हुआ। बहादुर के वारिस अपीलान्ट संख्या 6 से 8 व रेस्पोडेन्ट संख्या क्रमशः पत्नी, पुत्रगण व पुत्री होने से है। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के उक्त प्रार्थना पत्र को निर्णय दिनांक 28.12.2022 के द्वारा निर्णित कर स्वीकार किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बहादुर की मृत्यु की जानकारी रही थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बहादुर के वारिसान अपीलान्ट संख्या 6 से 8 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को विचारण न्यायालय के यहां पक्षकार नहीं बनाया और मरे हुए व्यक्ति बहादुर के विरूद्व निर्णय पारित कर दियां इस प्रकार विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट संख्या 6 से 8 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के साथ प्राकृतिक न्याय के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

सिद्धान्त की पालना नही की है। विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान (गर्वमेन्ट) रूल्स 1955 के नियम 69 को अनदेखा कर निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र में खेत खसरा नम्बर 218 व 209 में से नया रास्ता क्लेम किया है। उक्त आवश्यकता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के लिये अत्यन्त आवश्यकता नहीं थी और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास वैकल्पिक रास्ते मौजुद रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की तरफ से यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अपीलान्टस की सहखातेदारी के खेत खसरा नम्बर 209 व 218 में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कभी कोई रास्ता नहीं रहा। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी दर्ज नहीं किया कि वह अपने खेतों में प्रार्थना पत्र की प्रस्तुती तक कहां से आती जाती रही है। खेत खसरा नम्बर 218 के बीचों–बीच रास्ता कायम कर कृषि भूमि की उपयोगिता को खत्म किया गया है। विचारण न्यायालय ने भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांकित 25.06.2022 को नजरअंदाज किया है। खेत खसरा नम्बर 215 के पश्चिम में कटान का आम रास्ता मौजुद है और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के लिए सबसे उपयुक्त व सुविधाजनक रास्ता खेत खसरा नम्बर 215 व 216 की पश्चिमी सीमा के सहारे से है जिसकी दूरी भी कोई अत्यधिक नहीं है। विचारण न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट दिनांकित 29.06.2022 को जानबुझकर नजरअंदाज किया है। विचारण न्यायालय ने भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 01.12.2021 के आधार पर निर्णय पारित किया है। उक्त रिपोर्ट को निर्णय का भाग बताया है। उक्त रिपोर्ट में अंकित बिन्दु 'ए' पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कहा से पहुंचता है यह दर्ज नहीं है। खेत खसरा नम्बर 319/210 गैर मुमकिन रास्ता नहीं है। इसके बावजुद भी विचारण न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट को सही मानने में कानूनी गलती की है। उक्त रिपोर्ट में जमीन खसरा नम्बर 319/210 किस्म बारानी प्रथम और पटवारी हल्का ने पगडंडीयां व रास्ते के लिये दर्ज होना गलत दर्ज किया है। उक्त रिपोर्ट में वर्णित खसरा नम्बर 213 के पश्चिम में जो कटान का रास्ता दिखाया गया है वह रास्ता ही मौका रिपोर्ट दिनांकित 29.06.2022 में खसरा नम्बर 215 के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पश्चिमी दिशा में गुजरता है। खेत खसरा नम्बर 146, 148, 223 में से भी निकटतम व सुविधाजनक रास्ता खेत खसरा नम्बर 220 के लिये उपलब्ध है। उक्त तथ्य की ताईद भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट जो विचारण न्यायालय के यहां चले मु.नं. 09/2018 में दिनांक 05.07.2018 को तैयार की गई है उससे भी यह साबित होता है। अपील अपीलान्टस मंजूर फरमायी जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.2022 को अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा दोनों वैकल्पिक रास्तों के सम्बन्ध में प्रस्तुत रिपोर्ट में खसरा नम्बर 216 व 215 में से रास्ते की कुल लम्बाई 247 मीटर आती है जबकि आवेदक के प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुसार खसरा नम्बर 209 व 218 में से रास्ते की कुल लम्बाई 216 मीटर आती है। इस प्रकार यह स्पष्ट कि आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे चाहा रास्ता अन्य रास्ते के बजाय सबसे नियरेस्ट व सोरटेस्ट हैं तथा मुताबिक तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट दिनांक 01.12.2021 के बिन्दू संख्या 3 के अनुसार खसरा नम्बर 319/210 रकबा 0.0840 हैक्टेयर किस्म बा. प्रथम जो रिकार्ड जमाबन्दी के खाता संख्या 1 में पगडण्डिया व रास्ते के लिये दर्ज है जो आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते को आगे लिंक करता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि आवेदक को अपनी कृषि जोत तक पहुॅचने के लिये रास्ते कि नितान्त आवश्यकता हैं। इससे पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बहादुर की मृत्यु की जानकारी रही थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बहादुर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

के वारिसान अपीलान्ट संख्या 6 से 8 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को विचारण न्यायालय के यहां पक्षकार नहीं बनाया और मरे हुए व्यक्ति बहादुर के विरूद्ध निर्णय पारित कर दियां इस प्रकार विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट संख्या 6 से 8 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नही की है। विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान (गर्वमेन्ट) रूल्स 1955 के नियम 69 को अनदेखा कर निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र में खेत खसरा नम्बर 218 व 209 में से नया रास्ता क्लेम किया है। उक्त आवश्यकता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के लिये अत्यन्त आवश्यकता नहीं थी और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास वैकल्पिक रास्ते मौजुद रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की तरफ से यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अपीलान्टस की सहखातेदारी के खेत खसरा नम्बर 209 व 218 में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कभी कोई रास्ता नहीं रहा। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी दर्ज नहीं किया कि वह अपने खेतों में प्रार्थना पत्र की प्रस्तुती तक कहां से आती जाती रही है। खेत खसरा नम्बर 218 के बीचों–बीच रास्ता कायम कर कृषि भूमि की उपयोगिता को खत्म किया गया है। विचारण न्यायालय ने भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांकित 25.06.2022 को नजरअंदाज किया है। खेत खसरा नम्बर 215 के पश्चिम में कटान का आम रास्ता मौजुद है और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के लिए सबसे उपयुक्त व सुविधाजनक रास्ता खेत खसरा नम्बर 215 व 216 की पश्चिमी सीमा के सहारे से है जिसकी दूरी भी कोई अत्यधिक नहीं है। विचारण न्यायालय ने भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 01.12.2021 के आधार पर निर्णय पारित किया है। उक्त रिपोर्ट को निर्णय का भाग बताया है। उक्त रिपोर्ट में अंकित बिन्दु 'ए' पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कहा से पहुंचता है यह दर्ज नहीं है। खेत खसरा नम्बर 319/210 गैर मुमकिन रास्ता नहीं है। इसके बावजुद भी विचारण न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट को सही मानने में विधिक त्रुटि की है। उक्त रिपोर्ट में जमीन खसरा नम्बर 319/210 किस्म बारानी प्रथम और पटवारी हल्का ने पगडंडीयां व रास्ते के लिये दर्ज होना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अंकित किया है जबकि उक्त रिपोर्ट में वर्णित खसरा नम्बर 213 के पश्चिम में जो कटान का रास्ता दिखाया गया है वह रास्ता ही मौका रिपोर्ट दिनांकित 29.06.2022 में खसरा नम्बर 215 के पश्चिमी दिशा में गुजरता है। खेत खसरा नम्बर 146, 148, 223 में से भी निकटतम व सुविधाजनक रास्ता खेत खसरा नम्बर 220 के लिये उपलब्ध है। उक्त तथ्य की ताईद भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट जो विचारण न्यायालय के यहां चले मु.नं. 09/2018 में दिनांक 05.07.2018 को तैयार की गई है उससे भी यह साबित होता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 6.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम भोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर